



2026:AHC-LKO:5653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 11/2026

राम फेरन

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं 7 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – संतोष कुमार गुप्ता

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 25

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता और राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के रूप में यह रिट याचिका प्रतिवादीगण को ग्राम- बराम, पोस्ट- अलीपुर बुजुर्ग, परगना एवं तहसील- उतरौला, जिला- बलरामपुर में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता भूमि/मुख्य मार्ग, गाटा संख्या 108 पर कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने के अनुरोध सहित दायर की गई है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष उप-जिलाधिकारी उतरौला द्वारा दिनांक 24.01.2026 को प्रेषित किये गए निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिनमें यह दर्शाया गया है कि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 108 की 0.107 हेक्टेयर भूमि मुख्य मार्ग के रूप में दर्ज है और यह आबादी भूमि से संलग्न है, तथा गाटा संख्या 122 की 0.866 हेक्टेयर भूमि रामफेरन पुत्र जयराम के नाम पर भूमिधर भूमि के रूप में हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ दर्ज है। निर्देशों में आगे यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 08.01.2026 को सीमांकन की कार्यवाही की गई थी और सीमांकन के दौरान यह पाया गया कि सार्वजनिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपयोग की भूमि/मुख्य मार्ग, गाटा संख्या 108 पर कोई अतिक्रमण नहीं है और यह भूमि रिक्त है। निर्देशों को अभिलेख में दर्ज किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका का निस्तारण उप-जिलाधिकारी उतरौला को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में प्रश्नगत भूमि, अर्थात् राजस्व अभिलेख में मुख्य मार्ग के रूप में दर्ज गाटा संख्या 108 पर कोई अतिक्रमण न हो।

27 जनवरी, 2026

आशीष देवल

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय)